44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी

भास्करन्यूज़ | देहरादून

शुक्रवार से देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 'उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र के दौरान 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल है। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और दुनिया के एक हजार से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम 'पीस टू प्रोस्पेरिटी' रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड को देश में निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही आने वाले निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार पैदा करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रमुख उद्योगपति और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, **https://eproc.punjab.gov.in** ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR CMO NAGAR PARISHAD RAJGARH	**DEEPAK JAIN** VICE PRESIDENT NAGAR PARISHAD RAJGARH	**MRS SAVERA JAISWAL** PRESIDENT NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक। प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा। हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी

भास्कर न्यूज़ | देहरादून

शुक्रवार से देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 'उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023' की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र के दौरान 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी करेंगे। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल है। यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग शुरू की जा रही हो। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश और दुनिया के एक हजार से ज्यादा इन्वेस्टर और डेलीगेट्स शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की थीम 'पीस टू प्रोस्पेरिटी' रखी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड को देश में निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के साथ ही आने वाले निवेश के माध्यम से राज्य में रोजगार पैदा करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ढाई लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया था। जिसे पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा उद्योग समूहों के साथ एमओयू साइन किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, देश के प्रमुख उद्योगपति और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे।

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, **https://eproc.punjab.gov.in** ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	**DEEPAK JAIN**	**MRS SAVERA JAISWAL**
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित्त है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक। प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित्त पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt.Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा
C-878/23

नारी स्वास्थ्य समस्याओं का करो जड़ से इलाज
अभी कॉल करें
7710644444

BHANDARI
Glycerin
Skin Softner
BHANDARI LABS

सर्दी में रूखी त्वचा को रखें मुलायम
Since 1982
BHANDARI® LABS
41 वर्षों से आपके साथ.....
भंडारी ग्लिसरीन स्किन सॉफ्टनर
100% प्योर
प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर....
4 साइजों में नजदीकी मेडिकल / किराना / जनरल स्टोर्स एवं DMart amazon Flipkart पर उपलब्ध हैं!
For Business Enquires: + 91 97528-70708, 88399-07906

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("**प्रबंधक**") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("**सीएमडी**") कर रहे हैं। (इसके बाद "**अधिग्रहणकर्ता**" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("**कंपनी**") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "**स्टॉक एक्सचेंज**") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("**छूट पत्र 1**") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("**छूट पत्र 2**") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("**छूट पत्र 3**") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("**छूट पत्र**") और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग**) विनियम, 2021 ("**डीलिस्टिंग विनियम**") ("**डीलिस्टिंग प्रस्ताव**" या "**डीलिस्टिंग ऑफर**") के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार ('**जीओआई**'), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("**सीएमडी**") **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण**) विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("**लिस्टिंग विनियम**"); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("**एमएचआई**"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) ("**एस्क्रो राशि**")।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("**एस्क्रो बैंक**") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**" लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आईआईटी प्लेसमेंट में कंपनियां बढ़ीं, पर 1 करोड़+ के पैकेज घटे

एचएफटी कंपनियों ने एक करोड़ से ज्यादा वेतन वाले पैकेज बढ़ाए

अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

प्रीमियम तकनीकी संस्थान आईआईटी में 2 दिसंबर से कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुके हैं। 4 दिन का एनालिसिस करें तो पता चला है कि इस बार यहां ग्लोबक टेक स्लोडाउन हावी है। जॉब ऑफर करने वाली कंपनियां तो बढ़ी हैं, लेकिन एक करोड़ से ज्यादा के सालाना पैकेज देने वाली कंपनियां 20% घट गई हैं। ये कंपनियां हर साल आती थीं। इसके अलावा सैलरी पैकेज भी घट गए हैं।

कुछ आईआईटीज प्रोफेसर्स ने बताया कि अमेजन, इंफोसिस प्लेसमेंट में नहीं हैं। टीसीएस पहले ही कह चुकी है कि फ्रेशर्स की भर्ती सोच-समझकर करेगी। जिन जेन स्ट्रीट कैपिटल ने पिछले साल 3.7 करोड़ का सबसे बड़ा पैकेज दिया था, वो इस प्लेसमेंट से बाहर है। मॉर्गन स्टेनले, डेटाब्रिक्स, बीसीजी, बेन जैसी कंसल्टेंसी कंपनियां भी नहीं आईं। स्टार्टअप भी पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा ऑफर नहीं लाए हैं। पिछले साल आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर के एक-एक छात्र को प्लेसमेंट के पहले चरण में ही 3.7 करोड़ रु. के सालाना पैकेज मिल गए थे। हालांकि इस बार कुछ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (एचएफटी) और क्वांट कंपनियों ने करोड़ प्लस के पैकेज ऑफर किए हैं। ये कंपनियां मैथेमेटिक्स व स्टैटिस्टिक्स से बाजार की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाती हैं। इस बार एल्गोरिदम इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा भाषा विशेषज्ञों की मांग ज्यादा है।

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
☎ 9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

To Book Classified Ads Visit
BhaskarAd.com
9772019222

दैनिक भास्कर में
पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि
एवं शोक संदेश
BhaskarAd.com से घर बैठे बुक करें
9772019222

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking
(OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

निविदा सूचना

निम्नलिखित वस्तु की आपूर्ति हेतु ई-निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

(1) 77549, (2) 77594, (3) 77672, (4) 77716

नोट: अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट
https://mahatenders.gov.in पर लॉग ऑन करें।

PRO/AAM(M)/111/2023 **महाप्रबंधक**

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, वृत्त - जगदलपुर

प्रथम निविदा आमंत्रण विज्ञापन क्र. 08

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, वृत्त - जगदलपुर अंतर्गत 1. वि. ख. - बस्तर एवं बकावण्ड जिला बस्तर में खण्ड श्रोत समन्वयक केन्द्र (बी. आर. सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा राशि रू. 11.35 लाख 2. वि.ख. - जगदलपुर एवं लोहण्डीगुड़ा जिला बस्तर में खण्ड श्रोत समन्वयक केन्द्र (बी. आर.सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा राशि रू. 11.35 लाख 3. वि. ख. - बास्तानार, तोकापाल एवं दरभा जिला बस्तर में खण्ड श्रोत समन्वयक केन्द्र (बी. आर. सी. सी.) भवन मरम्मत कार्य, निविदा राशि रू. 17.03 लाख हेतु ऑफलाईन निविदा एकीकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी हेतु का.अ. संभाग जगदलपुर मो. नं. 9424209020 पर सम्पर्क करें ।

सं.-39052 **उपायुक्त जगदलपुर**

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैं:

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए:

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित्त है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक। प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करें:

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

रायगढ़ जिले में घूम रहा 67 हाथियों का दल पुसल्दा में तोड़े मकान, खा गए घरों में रखे धान

भास्कर न्यूज़ | रायगढ़/एडू

मंगलवार रात को धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल रेंज में पुसल्दा में 67 हाथियों का झुंड आ पहुंचा। यहां किसानों द्वारा रखे गए धान की खुशबू से हाथी यहां तक पहुंचे थे। कुछ मकानों में तोड़फोड़ की। धान खाने के लिए एक मकान की छत तक उखाड़ दी। दिगम्बर राठिया नामक किसान के मकान में हाथियों के झुंड ने हमला बोला। इनका मकान बस्ती से थोड़ी ही दूर में है। रातभर हाथी आसपास में उत्पात मचाते रहे। खेतों में फसल और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। बुधवार शाम लगभग 40 हाथी पुसल्दा से लगभग दो किलोमीटर एड़ू बाजारपारा बरमुडा तालाब के नीचे खेत पहुंचे और यहीं डेरा जमा लिया। शाम 7 बजे हाथी मित्र दल के साथ वन विभाग के कर्मचारियों की टीम गाड़ी के साथ यहां पहुंची। देर रात तक हाथियों को बस्ती से दूर खदेड़ने की कोशिश होती रही। दो दिन से छाल रेंज में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। यहां पुसल्दा और बरभौना के खेतों में फसल खराब करने के साथ हाथियों ने पंप के पाइप उखाड़ दिए और घरों को नुकसान पहुंचाया।

घर की छप्पर उखाड़कर हाथी खा गए धान, बचे अनाज को बटोरती महिला।

गढ़चिरोली ऑपरेशनः डेढ़ लाख में हुआ बाघ की खाल का सौदा

भास्कर न्यूज़ | रायपुर

छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वन विभाग की संयुक्त टीम ने 28-29 नवंबर की दरमियानी रात गढ़चिरोली के जंगलों में कार्रवाई करते हुए बाघ की खाल बेचने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। कार्रवाई में मौके से ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी, इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।

इनके पास से मौके पर ही एक बाघ की खाल और अगले दिन आरोपियों की निशानदेही पर चले सर्चिंग अभियान के दौरान बाघ के नाखून बरामद किए गए थे। चूंकि वन्यप्राणी आर्टिकल्स की कीमत कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती है, यह अनमोल होती है। इस ऑपरेशन के दौरान 25 लाख रुपए में नहीं बल्कि 1 से डेढ़ लाख के बीच बाघ की खाल का सौदा होना पाया गया। दैनिक भास्कर से बातचीत में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक एवं एंटी पोचिंग टीम का नेतृत्व कर रहे आईएफएस वरूण जैन ने बताया कि इस कार्रवाई में संयुक्त रूप से सिर्फ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वन मंडल की टीम शामिल थी।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई"** / **"स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यु डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तुर्किए: अतातुर्क एयरपोर्ट से सर्दियों में भी उड़ान भर सकें, इसलिए बर्फ तोड़ने वाले वाहन तैनात

इस्तांबुल | तुर्किए की राजधानी इस्तांबुल से सर्दियों में भी उड़ान भरी जा सके, इसलिए खास वाहनों का बेड़ा मंगाया गया है। ये वाहन अतातुर्क एयरपोर्ट पर रनवे से बर्फ साफ करेंगे। इन वाहनों में हिमपात हटाने और बर्फ तोड़ने की मशीनें लगाई गई हैं। सर्दियों में रनवे पर बर्फ भी जम जाती है।

सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाएं सभी देश: डब्ल्यूएचओ

एजेंसी | जिनेवा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने सभी देशों से सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने को कहा है। डब्ल्यूएचओ की ऐसी अपील के पीछे शुगर संबंधी उत्पाद के सेवन को कम करना है। अनहेल्दी डाइट की वजह से हर साल 80 लाख लोग मरते हैं। संस्था ने शराब पर भी टैक्स बढ़ाने को कहा है। शुगर संबंधी उत्पाद के उपयोग पर डब्ल्यूएचओ की वैश्विक रिपोर्ट-2023 में ने यह बात कही है।

दंपती में किसी को भी हाई बीपी तो दूसरे को भी होने की आशंका, भारत में 19% तो चीन में 26%: शोध

एजेंसी | वॉशिंगटन. अगर आपके पति या पत्नी को हाई बीपी है तो अपना भी चेक करा लें। आपको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हर्ट एसोसिएशन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर दंपती में से किसी एक को हाई बीपी है तो जल्द ही दूसरे को भी होने की आशंका होती है। भारत-चीन समेत दुनिया के 4 देशों के लोगों पर हुई शोध के मुताबिक, दुनिया भर में बढ़ रहे बीपी के मरीजों में सबसे ज्यादा वे लोग हैं, जिनके साथी को हाई बीपी है। इसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को खतरा है। जो महिलाएं हाई बीपी के मरीज से शादी करती हैं, उन्हें बीपी होने की आशंका बढ़ जाती है। भारत में ऐसा होने की आशंका 19% है, जबकि चीन में यह 26% है। यानी हर चौथी महिला को पति की वजह से बीपी की बीमारी हुई है।

2022 में मिनी स्कर्ट्स, इस साल हॉट पैंट का फैशन रहा

एजेंसी | वॉशिंगटन. फैशन इंडस्ट्री और फैशनेबल लोग हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते हैं। यही वजह है कि फैशन ट्रेंड हर साल बदलता रहता है। ग्लोबल शॉपिंग प्लेटफॉर्म लिस्ट की ईयर इन फैशन रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में मिनी स्कर्ट्स फैशन ट्रेंड था। इस साल हॉट पैंट और बैलेट फ्लैट्स का सबसे ज्यादा ट्रेंड रहा। पिछले साल कयास लगाए गए थे कि अब लंबी पोशाक फैशन ट्रेंड बनेगी।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैं:

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलिवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सर्दियों की छुट्टी में ज्यादा आत्महत्याओं का दावा नए शोध में गलत साबित हुआ

TIME
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

न्यूयॉर्क| सुसाइड की घटनाओं को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि यह ठंड के समय में बढ़ जाती हैं। साथ ही सर्दियों की छुट्टियां सुसाइड की घटना घटने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी की शोध ने इसके उलट दावा करते हुए कहा है कि सर्दियों में सुसाइड की घटनाएं नहीं बढ़ती हैं। यूनिवर्सिटी के पब्लिक पॉलिसी सेंटर के शोध निदेशक डैन रोमर ने 1,500 से अधिक अमेरिकी वयस्कों से सवाल किया कि उन्हें क्या लगता है कि सुसाइड की घटना सबसे ज्यादा किस माह में होती है? सर्वे में शामिल लोगों में से 81% लोगों ने दिसंबर माह में होने की बात कही। रोमर के अनुसार सुसाइड घटनाओं का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर महीनों के दौरान अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। उनका कहना है कि लोगों की ऐसी धारणा के पीछे कल्चरल मान्यताएं हो सकती हैं।

विमान कंपनियों को नकली पार्ट्स बेचे

लंदन | विमान कंपनियों को नकली जेट इंजन और नकली पार्ट्स बेचने के आरोप में ब्रिटेन के जोस एलेजांद्रो जमोरा याराला को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल के जमोरा की कंपनी एओजी टेक्निक्स लिमिटेड पर दुनियाभर में 126 कमर्शियल कंपनियों को नकली पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप लगा है।

शादी में खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, ₹40 हजार मुआवजा

एजेंसी.एर्नाकुलम | केरल के एर्नाकुलम में शादी की पार्टी में खाने से बीमार पड़ने पर पीड़ित को 40 हजार रुपए का मुआवजा मिला है। उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में कहा कि केटरर ने लापरवाही बरती। इसकी वजह से पीड़ित को परेशानी हुई। डायरिया होने की वजह से उसे तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कैटरर को 11,845 रुपए इलाज के खर्च के तौर पर भी देने पड़े। पीड़ित ने यह भी बताया कि पार्टी में खाने के बाद वह अकेला बीमार नहीं पड़ा था। और भी कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोगों को उल्टियां भी हुईं।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव"** या **"डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिजॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनसिक्योर्ड लोन पर रिजर्व बैंक की सख्ती का असर

बैंकों ने फिनटेक पार्टनर से छोटे पर्सनल लोन कम करने को कहा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बैंकों और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपने-अपने फिनटेक पार्टनर्स से छोटे पर्सनल लोन में कटौती करने के लिए कहा है। ये कदम हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती बरते जाने के बाद उठाया गया है। बैंकों और एनबीएफसी के इस कदम का असर भी दिखने लगा है। पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशन्स ने बुधवार को 50,000 रुपए से कम के कर्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कटौती करने का ऐलान कर दिया।

छोटे पर्सनल लोन से बच रहे बैंक: देशभर के ज्यादातर बैंकर अब छोटे पर्सनल लोन देने से बच रहे हैं। दर्जनभर फिनटेक को लोन देने वाले एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के टॉप बैंकर ने कहा, 'आरबीआई की तरफ से स्पष्ट संकेत है, इसलिए हम ऐसा करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हमने अपने फिनटेक पार्टनर्स से कहा है कि हम 50,000 रुपए से कम के लोन नहीं देना चाहते हैं।'

फिनटेक इंडस्ट्री की ग्रोथ कम होकर 12-14% रह जाएगी

फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी का अनुमान है कि भारत में फिनटेक इंडस्ट्री की लोन ग्रोथ 15% से घटकर 12-14% रह जाएगी। एक अन्य बैंकर ने कहा कि जिस सरकारी बैंक में वह काम करता है, उसने अपने फिनटेक पार्टनर्स को चुनिंदा छोटे लोन जारी करने के लिए कहा है।

PSPCL
Powering Punjab, Enriching Lives

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, **https://eproc.punjab.gov.in** ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	**DEEPAK JAIN**	**MRS SAVERA JAISWAL**
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।
(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।
हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत	डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209	संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com	ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435	सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी	वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508	कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भारत की दो टूक; पाक में दुबके वांटेड यहां कानून का सामना करें

आतंकियों के मारे जाने पर टिप्पणी से इनकार

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली . भारत ने पाकिस्तान में दुबके वांटेड आतंकियों को दो टूक हिदायत दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की मौत के सवाल पर कहा कि हम चाहते हैं कि आतंकी भारत लौटें और यहां कानून व्यवस्था का सामना करें। हालांकि, बागची ने पाक में अपराधियों के मारे जाने पर टिप्पणी से इनकार किया। बागची का बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान में भारत के 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों का अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों सफाया हो चुका है।

एफबीआई निदेशक भारत आएंगे, एनआईए पन्नू का मामला उठाएगी

नई दिल्ली। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (संघीय जांच ब्यूरो) के निदेशक क्रिस्टोफर रे अगले सप्ताह भारत आएंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने इस दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि भारत हमारे लिए अहम साझेदार देश है। सूत्रों के अनुसार एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर के साथ मुलाकात के दौरान एनआईए और सीबीआई के अधिकारी अमेरिका में बसे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुद्दा उठाएंगे।

मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई में आई बाढ़, सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया

चेन्नई | मिचौंग चक्रवात के बाद चेन्नई में आई बाढ़ में अपने सामान के साथ गुजरती एक महिला। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा राज्य भारी बारिश और तेज हवा की वजह से भारी छति का सामना कर रहे हैं। चक्रवात की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हुई है।

126 विमान कंपनियों को नकली पार्ट्स बेचे

लंदन | विमान कंपनियों को नकली जेट इंजन और नकली पार्ट्स बेचने के आरोप में ब्रिटेन के जोस एलेजांद्रो जमोरा याराला को गिरफ्तार किया गया है। 35 साल के जमोरा की कंपनी एओजी टेक्निक्स लिमिटेड पर दुनियाभर में 126 कमर्शियल कंपनियों को नकली पार्ट्स सप्लाई करने का आरोप लगा है।

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तमिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals

कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508

Skyline Financial Services Pvt. Ltd.

स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, https://eproc.punjab.gov.in ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा C-878/23

NOTICE INVITING TENDER

Ref. No. : MPSEDC/MKT/2023/529 Dated 07.12.2023

Online Tenders are invited for Selection of Service Provider to Setup and Operate Call Center. Interested eligible bidders can view/download the RFP from **www.mptenders.gov.in.** First time users of this portal will be required to register online with payment of registration charge.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. STATE ELECTRONIC DEV. CORPN. LTD.
State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 M.P.
Tel. 0755-2518605/742, Email : marketing@mpsedc.com
Website : www.mpsedc.mp.gov.in
M.P. Madhyam/112661/2023

OFFICE OF NAGAR PARISHAD RAJGARH DISTT- DHAR

NIT No. 820 Dated: 05-12-2023

Notice Inviting Tender (2nd Call)

ONLINE BIDS ARE INVITED FROM REGISTERED CONTRACTORS/ FIRMS OF REPUTE FOR WORK OF AUGMENTATION OF WATER SUPPLY SYSTEM OF RAJGARH TOWN UNDER AMRUT 2.0, E-TENDER ID NO: 2023_UAD_318514_1 PROBABLE AMOUNT RS. 1596.34 LACS, EMD RS. 7,98,169.00, COST OF BID DOCUMENT RS. 30,000/-, LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF BID : 23-12-2023 & TIME: 17:30 HRS*

*ALL OTHER DETAILS ARE PUBLISHED ON WEBSITE WWW.MPTENDER.GOV.IN, FURTHER INFORMATION OR CLARIFICATION (IF ANY) SHALL BE PUBLISHED ON WEBSITE ONLY, AND NOT IN NEWSPAPER.

SURENDRASINGH PANWAR	**DEEPAK JAIN**	**MRS SAVERA JAISWAL**
CMO	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH	NAGAR PARISHAD RAJGARH

// कार्यालय जनपद पंचायत शाहपुर, जिला-बैतूल //

क्रमांक/1943/मत्स्य/जन.पंचा./2023-24 शाहपुर, दिनांक : 4/12/2023

-:: विज्ञप्ति ::-

जनपद पंचायत शाहपुर को पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत निम्नांकित सिंचाई जलाशय शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार 10 वर्षीय मत्स्यपालन/विकास के लिए पट्टे पर दिया जाना है। अतः निर्धारित प्राथमिकता रखने वाले पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों/स्व सहायता मछुआ समूहों/व्यक्ति विशेष के आवेदन पत्र दिनांक 30/12/2023 तक कार्यालय जनपद पंचायत में अवकाश दिनों को छोड़कर आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	जलाशय का नाम	विकास खण्ड	जलक्षेत्र (हेक्टे.में)	निर्धारित प्राथमिकता
1	2	3	4	5
1	मोतीढाना जलाशय	शाहपुर	11.83 हेक्टेयर	अ. पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति
2	मोखा जलाशय	शाहपुर	58.66 हेक्टेयर	ब. स्व सहायता मछुआ समूह
3	देशावाड़ी जलाशय	शाहपुर	22.75 हेक्टेयर	स. व्यक्तिविशेष

क्रियाशील पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति का प्रस्ताव-ठहराव, सदस्य सूची एवं गत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जलाशय की पट्टा राशि एवं स्टाम्प ड्यूटी जो भी नियत की जावेंगी, उसे मान्य करना होगा। अनुबंध का पंजीयन कराना होगा। जलाशय की निर्धारित लीज राशि नियत समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र एवं विस्तृत नियम/शर्तों की जानकारी कार्यालय जनपद पंचायत शाहपुर/सहायक संचालक मत्स्योद्योग बैतूल में देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत शाहपुर

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकारः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

निरंतर

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेजः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत	डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209	संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com	ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435	सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी	वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508	कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking
(OF THE BRIHANMUMBAI MAHANAGARPALIKA)

निविदा सूचना

निम्नलिखित वस्तु की आपूर्ति हेतु ई-निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है।

(1) 77549, (2) 77594, (3) 77672, (4) 77716

नोट: अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट **https://mahatenders.gov.in** पर लॉग ऑन करें।

PRO/AAM(M)/111/2023 **महाप्रबंधक**

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वैबसाइट : www.pspcl.in
सम्पर्क : 96461-18773

निविदा पूछताछ संख्या: क्यू-4019/23-24/पीओ-टी/सीई-एमएम

मुख्य खरीद अधिकारी/एमएम, केंद्रीय खरीद संगठन, पीएसपीसीएल, दूसरी मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द मॉल, पीएसपीसीएल 21,220 नंबर, आईएसआई मार्क, तीन चरण, 10 केवीए, तेल डूबे हुए, सीआरजीओ/अमोर्फस कोर, एल्यूमिनियम के ई-निविदा आमंत्रित करता है। घाव, वितरण ट्रांसफार्मर पीएसपीसीएल विनिर्देशों के अनुसार फिटिंग के साथ पूर्ण और आईएस 1180 भाग-1 (2014) और आईएस 2026 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुरूप हैं। विस्तृत एनआईटी और निविदा विनिर्देश के लिए कृपया 08.12.2023 से **https://eproc.punjab.gov.in** देखें।

नोट : शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, **https://eproc.punjab.gov.in** ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा

C-878/23

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधो. वि. निगम
कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग सागर भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक/791 /तशा/मप्रपुहाका/पय/सागर/2023 दिनांक : 06.12.2023

विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में बाह्य विद्युतीकरण कार्य 33/0.4 के.व्ही. 2x500 के.व्ही.ए. का कार्य 80+160 बहुमंजिला आवास गृह पिपलानी, भोपाल हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा क्रमांक 2023_MPPHC_318302_1 दिनांक 20.12.2023 समय 17:00 बजे तक खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/112669/2023 **परियोजना यंत्री**

NOTICE INVITING TENDER

Ref. No. : MPSEDC/MKT/2023/529 Dated 07.12.2023

Online Tenders are invited for Selection of Service Provider to Setup and Operate Call Center. Interested eligible bidders can view/download the RFP from **www.mptenders.gov.in.** First time users of this portal will be required to register online with payment of registration charge.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. STATE ELECTRONIC DEV. CORPN. LTD.
State IT Centre, 47 "A" Arera Hills, Bhopal-462011 M.P.
Tel. 0755-2518605/742, Email : marketing@mpsedc.com
Website : www.mpsedc.mp.gov.in
M.P. Madhyam/112661/2023

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक ("**प्रबंधक**") द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ("**सीएमडी**") कर रहे हैं। (इसके बाद "**अधिग्रहणकर्ता**" के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ("**कंपनी**") के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**" / "**स्टॉक एक्सचेंज**") से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 ("**छूट पत्र 1**") पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 ("**छूट पत्र 2**") के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 ("**छूट पत्र 3**") और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है ("**छूट पत्र**") और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 ("**डीलिस्टिंग विनियम**") ("**डीलिस्टिंग प्रस्ताव**" या "**डीलिस्टिंग ऑफर**") के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर ("**ऑफर शेयर**") हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार ('**जीओआई**'), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा ("**आईपीए**") की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 ("**अधिग्रहण विनियम**") के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यु डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 ("**लिस्टिंग विनियम**"); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय ("**एमएचआई**"), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023 के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) ("**एस्क्रो राशि**")।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड ("**एस्क्रो बैंक**") और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**" लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में))। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में))। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में))। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. अनुपालन अधिकारी

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**
डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत	डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत
संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209	संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97
ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com	ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com
सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435	सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241
वैधता अवधिः स्थायी	वैधता अवधिः स्थायी
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508	कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निरंतर